(1)

उत्तराखण्ड शासन

ईमेल आई0डी0– info@ukmc.in
दूरभाष / फैक्स नं0 0135–2781201

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

डॉ0 आर0के0जैन, अध्यक्ष उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2019 को पूर्वाहन् 11.00 बजे दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को "विश्व अल्पसख्यंक अधिकार दिवस" के कार्यक्रम को सफल बनाये जाने के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त–

बैठक उपस्थित–

1–डॉ0 आर0के0जैन, अध्यक्ष उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग देहरादून।
2–श्री सुरेश चन्द्र जोशी, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3–श्रीमती सीमा जावेद, सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयेाग, देहरादून।
4–श्री शशि भूषण जोशी, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड–देहरादून।
5–श्री असलम अली, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नैनीताल।
6–श्री पीताम्बर दत्त उपाध्याय, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
7–श्री प्रीतम सिंह, वरिष्ठ सहायक, जिला अल्पसंख्यक क0 अधिकारी कार्यालय, हरिद्वार।
8–श्री पंकज कंडवाल, सीआरआई इवेन्टस, देहरादून।
9–श्री सागर, प्रिन्टिंग प्रेस, देहरादून।

बैठक में सर्वप्रथम मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों से परिचय करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

1– बैठक में सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसख्यंक आयोग, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को "विश्व अल्पसख्यंक अधिकार दिवस" कार्यक्रम का आयोजन सर्वे ऑफ इण्डिया, हाथीबड़कला, देहरादून में किया जा रहा है तथा वीडियों क्रान्फ्रिसिंग के माध्यम से प्रदेश के चार अल्पसख्यंक बाहुल्य जनपदों क्रमशः जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के थाने में, जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड मंगलौर में स्थित थाने में, जनपद ऊधमसिंहनगर के विकासखण्ड रूद्रपुर में स्थित थाना / कोतवाली में तथा जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी में स्थित थानों में वी.सी. के माध्यम से जन सामान्य को जन सुनवाई व निराकरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जनपदों में स्थित थानों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा वीडियों क्रान्फ्रिसिंग में संबंधित जनपदों से जनसामान्य की समस्याओं की एक पंजिका तैयार की जाये, जिसका रख–रखाव व जन सामान्य की शिकायत / समस्याओं को दर्ज करने हेतु श्रीमती शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक को निर्देशित किया गया।

2– बैठक में वीडियों क्रान्फ्रिसिंग का संचालक के प्रतिनिधि श्री पंकज कंडवाल को निर्देशित किया गया कि वह उक्त चारों जनपदों में स्थित थानों में दिनांक 15.12.2019, से पूर्व निरीक्षण करेगें व संबंधित थानाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित कर दिनांक 17.10.2019, को वीडियों क्रान्फ्रिसिंग का डैमो देगें। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित थानों में संबंधित जिला अल्पसख्यंक कल्याण अधिकारियों को स्वयं अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये तथा साथ ही उक्त आयोजन में जनपद के अल्पसख्यंक समुदाय के गणमन्य सदस्यों को आमंत्रित किये जाने के भी निर्देश जिला अल्पसख्यंक कल्याण अधिकारियों को दिये गये। बैठक में वीडियों क्रान्फ्रिसिंग के प्रतिनिधि द्वारा थानों में बैठने व संयत्र स्थापित किये जाने की व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया कि इस संबंध में निदेशक, अल्पसख्यंक कल्याण विभाग,

उत्तराखण्ड के द्वारा अपेक्षा की गई कि वीडियों क्रान्फिसिंग से संबंधित उक्त चारों थानों में व्यवस्था हेतु प्रत्येक थाने में रू0 5000/– की जायें। संबंधित थानाध्यक्ष कार्यक्रम सम्पन्न के पश्चात् रू0 5000/– का बिल बाउचर भुगतान संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेगें। सबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त बजट से बिल का भुगतान करेंगे। यदि संबंधित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त धन न हो, तो उसके पश्चात् संबंधित भुगतान मा0 आयोग द्वारा किया जायेगा।

अतः में बैठक में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग प्रदान किये जाने के साथ सधन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

ह0/–
डॉ0 आर0के0जैन
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।

कार्यालय–उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून

पत्रांक 1101 **/उ0अ0स0/बैठक–कार्यवृत्त/2019–20 दिनांक** 13 **दिसम्बर, 2019**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, अल्पसख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर पुलिस अधीक्षक, लॉ एण्ड ऑर्डर, देहरादून।
3. जिला अल्पसख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड (उक्त जनपदों को छोड़कर)।

(जे0एस0रावत)
सचिव
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।